विजयलक्ष्मी बनाम गोपाल

121/2024

26/7/24 को अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया उभयपक्ष की ओर से पेश राजीनामा/ सहमति व नजरी नक्शे भक्त्सार वादीगण का वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो डिक्री जारी हो

अं (नि/हनुमान)

Attd By
Dhan...

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 121/2024
निर्णय दिनांक : 26.07.2024

1. विजयलक्ष्मी पत्नी विजय कुमार कांसोटिया जाति रैगर, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

वादिया

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र घासीराम जाति बैरवा निवासी रामदेवजी मन्दिर ग्राम नेवटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र देव
3. हनुमान पुत्र देवा
4. धूल्या पुत्र देवा
   समस्त जाति बलाई, समस्त निवासीगण ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
5. हंसराज कांसोटिया पुत्र सूरजमल कांसोटिया निवासी ढाणी रैगरों की सरपंच वाली, बेनाड रोड, दौलतपुरा, झोटवाडा, जिला जयपुर 302012
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, सांगानेर, जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

वादिया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की शामलाती कृषि भूमि खाता संख्या नया 286 पुराना 232 में खसरा संख्या 726 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकबा 1. 0000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1. 08000 हैक्टेयर स्थित ग्राम केश्यावाला, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादीया का हिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/10, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/5 राजस्व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है और उक्त कृषि भूमि ही इस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति से संबोधित किया गया है। जो हिस्सा वादीया एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अविभाजित है तथा उसी हिस्से के आधार पर वादीया एवं प्रतिवादीगण मनबट के आधार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। [illegible] भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज दिन तक [illegible] के आधार पर तकासमा नही हुआ है। प्रतिवादीगण की [illegible] में कुछ समय से फितूर आया हुआ है तथा प्रतिवादीगण वादीया से द्वेषता रखते है जिससे प्रतिवादीगण ने आपस में नाजायज सांठ गांठ व मिलिभगत कर रखी है तथा प्रतिवादीगण वाद [illegible] की मद संख्या । में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:30:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कृषि भूमि में वादीया के हक अधिकार व हिस्से की भूमि को हडपने की नियत से जहां वादीया का हिस्सा है उस हिस्से को अन्य व्यक्तियों को हस्तानांतरण, रहन, बेय, बख्शीश व वादीया को जबरन बेदखल करने व उक्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित एवं उपजाउ भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने व वादीया के हक हिस्से व अधिकार की भूमि से वादीया को महरूम करने पर आमदा हो रहे है जिसका कि उनको किसी प्रकार का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस नियत से दिनांक 09.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व अपने साथ 8–10 अन्य व्यक्तियों को लेकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आये तथा मौके पर अवैध तरीके से जहां वादीया काबिज है उस पर निर्माण करने तथा वादीया के काबिज भूमि भू–भाग को विक्रय, हस्तानांतरित आदि करने की बातचीत करने लगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण 1 ता 5 को अवैध व गैरकानूनी कृत्य करने से मना किया तथा उक्त भूमि का तकासमा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण वादीया से नाराज हो गये तथा वादीया व उसके पति के साथ गाली गलौच की व वादीया से मारपीट करने पर आमादा हो गये जिसका वादीया ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण । ता 5 ने कहा कि आपसी सहमति के आधार पर जहां हम चाहते है वहां तकासमा करवा लो तथा जबरन बेदखल करने व कब्जा करने पर आमदा हो गये जिस पर हल्ला सुनकर मौके पर रास्ते में चलते राहगीर काफी संख्या में इकट्ठे हो गये जिस पर प्रतिवादीगण । ता 5 व उनके साथ आये व्यक्ति मौके से चले गये लेकिन जाते–जाते वादीया को एलानियां धमकी दी कि वह शीघ्र ही मौका प्राप्त कर वादीया की कब्जेशुदा कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति, संस्था इत्यादि को विक्रय, हस्तांनान्तरित कर उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर देंगें तथा भूमि पर अवैध रुप से कब्जा करके रहेंगे तथा भूमि का तकासमा करवाने से साफ इंकार कर दिया जिसका कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को किसी प्रकार का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नही है। वादीया शांतिप्रिय एवं न्याय में विश्वास करने वाली महिला है जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 5 धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली प्रवृति के लोग है तथा उंची राजनैतिक पहुंच रखते है तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रशासनिक अधिकारी है जिनका मुकाबला वादीया बिना न्यायालय की सहायता के करने में असमर्थ है जिससे वादीया के पास माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है वादीया वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का माननीय न्यायालय द्वारा वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाकर उसी अनुसार अलग खाता कायम करवाकर अलग से पर्चा लगान करवाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाने की अधिकारी है कि वे वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि को विक्रय, हस्तानान्तरण आदि नही करे व करावे तथा वादीया को अपनी कब्जेशुदा कृषि भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व रुकावट उत्पन्न नही करे, ना ही अन्य से करावे, ना ही उक्त कृषि भूमि कृषि से अकृषि में परिवर्तित करावे, ना ही उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करे, करावे [illegible] पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे,करावे, ना ही जब तक उ[illegible] वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर [illegible] हो जाता तब तक उक्त भूमि का किसी प्रकार [illegible] नहीं करे ना ही करावें तथा प्रतिवादी संख्या 6 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कि[illegible] प्रकार की दुरुस्ती, परिवर्तन, फेरबदल नहीं करे ना ही करावे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 7 उक्त कृषि भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] द्वितीय ([illegible]गानेर)

स्वामित्व का किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध करे या करावे। वाद पत्र की पैरा संख्या में वर्णित कृषि भूमि का वादीया की कब्जाशुदा कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है. लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 लैण्ड होल्डर व वाद तकासमा का होने के कारण पक्षकार बनाया है तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना सूचना दिये ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है यदि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को सूचना पत्र दिया जाता है तो वादीया का वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा जिससे वादीया को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत छूट प्रदान की जावे। वाद में विवाद मूल दिनांक 09.05.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार अवैध व गैरकानूनी कृत्य करने एवं तकासमा हेतु मना करने पर उत्पन्न होकर लगातार उत्पन्न होने पर वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीया वाद पत्र के साथ में नजरी नक्शा कब्जे के अनुसार प्रस्तुत कर रही है जिसे वाद पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

वादीया की प्रार्थनायें निम्न हैः–

(क) वादीया का वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिकी किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या नया 286 पुराना 232 में खसरा संख्या 726 रकबा 0. 0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.08000 हैक्टेयर स्थित ग्राम केश्यावाला, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर कृषि भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से अनुसार वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर उसी अनुसार अलग खाता कायम किया जाकर अलग से पर्चा लगान जारी किया जावे इस हेतु वादीया प्रतिवादी संख्या 6 को तहरीर जारी की जावे।

(ख) वादीया का वाद बहक प्रतिवादीगण सव्यय न्यायालय सहित डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि को विक्रय, हस्तानान्तरण आदि नही करे, ना ही करावे तथा वादीया को उक्त कब्जाशुदा भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में कोई बाधा व रुकावट उत्पन्न नही करे, ना ही करावे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नही करे, ना करावे, ना ही उक्त भूमि को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करे व करावे, ना ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, करावे, ना ही जब तक उक्त भूमि का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि का किसी प्रकार का विक्रय, हस्तानान्तरण नही करे, करावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 को उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की दुरुस्ती परिवर्तन व फेरबदल नही करे, करावे, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 7 उक्त भूमि के स्वामित्व का किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीबद्ध करे, करावे।

(ग) वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि [illegible] की कब्जाशुदा कृषि भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। दिनांक 26.07.2024 को वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 एवं 5 मय अधिवक्ता उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 एवं 5

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा व सहमति से तकासमा करने का पेश किया। सहमति प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में वादिया व प्रतिवादीगण संलग्न नक्शे के अनुसार तकासमा हेतु सहमत है। नजरी नक्शा संलग्न है। जिसमें रिकार्ड पर लेकर सहमति से तकासमा करवाना चाहते है।

वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 एवं 5 की ओर से पेश सहमति से हुये तकासमा के नक्शे को रिकॉर्ड लिया गया। बहस वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की बहस सुनी गई।

बहस वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 पर मनन किया एवं उभयपक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा एवं संलग्न नक्शे का अवलोकन करने पर वादिया की ओर से पेश वाद सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान की ग्राम केश्यावाला, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 726 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.08000 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक नजरी नक्शा एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्म्त सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या :121/2024
डिक्री जारी दिनांक : 26.07.2024

1. विजयलक्ष्मी पत्नी विजय कुमार कांसोटिया जाति रैगर, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

वादिया

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र घासीराम जाति बैरवा निवासी रामदेवजी मन्दिर ग्राम नेवटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. सोन्या उर्फ सोहनलाल पुत्र देव
3. हनुमान पुत्र देवा
4. धूल्या पुत्र देवा
   समस्त जाति बलाई, समस्त निवासीगण ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।
5. हंसराज कांसोटिया पुत्र सूरजमल कांसोटिया निवासी ढाणी रैगरों की सरपंच वाली, बेनाड रोड, दौलतपुरा, झोटवाडा, जिला जयपुर 302012
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम, सांगानेर, जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया की ओर से पेश वाद सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान की ग्राम केश्यावाला, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 726 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 739 रकवा 1.0000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.08000 हैक्टेयर का तकासमा मुताविक नजरी नक्शा एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... को अदा ... आज तारीख 26.07.2024 को

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत ... जारी की गई।

मुहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested